14

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यपदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी - 3837/2018/अशोकनगर/भू.रा.

श्री लाखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 23/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28/06/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

लोकेन्द्र उर्फ सुनील पुत्र रमाशंकर अग्रवाल निवासी सुभाषगंज, अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र. ....**आवेदक**

बनाम

गौशाला अशोकनगर द्वारा अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी निवासी– पुराना बाजार, शंकरजी के मदिंर के पास अशोकनगर म.प्र.

..............**अनावेदक**

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्र 1589/बी–121 /16–17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत :–

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक भूमि सर्वे क्र. 317/3 का राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी है। आवेदक के पिता श्री रमाशंकर अग्रवाल द्वारा लोकेन्द्र के नाम से विकेंता अजुददीबाई से जर्ये रजिर्स्टड विकय पत्र दिनांक 23.03.1964 को कय की थीं। तदोपरांन आवेदक लोकेन्द्रनाथ के नाम से राजस्व अभिलेख में इंद्राज हो गया था, आवेदक का उपनाम सुनीलकुमार भी था इसलिये आवेदक ने तत्कालीन तहसीलदार महोदय को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व अभिलेखों में लोकेन्द्रनाथ उर्फ सुनीलकुमार पुत्र रमा शंकर अग्रवाल किया जावे। तहसीलदार महोदय द्वारा जॉच कराने के पश्चात, पटवारी को दिनांक 30.05.1989 को उक्त भूमि पर लोकेन्द्रनाथ के स्थान पर लोकेन्द्रनाथ उर्फ सुनीलकुमार का इंद्राज किये जाने का आदेश दिया गया था। तदुपरान्त खसरा खतौनी में संबंत 2046 में लोकेन्द्रनाथ के स्थान पर लोकेन्द्रनाथ उर्फ सुनीलकुमार अग्रवाल पुत्र रमाशंकर अग्रवाल के नाम से अंकित कर दिया गया।
2. यह कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पछारी गोपाल गौशाला के भूमि सर्वे कमांक 317 रकवा 2.195 हैक्टेयर षणयंत्र कर फर्जी इंद्राज कर भूमि हडपने वावत। तहसीलदार

R - 38, 37/2018 मंगला - अ.नगर

2/7/18

आवेदक अधिवक्ता श्री नरसन सिंह चारण उपस्थित होकर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण ~~[illegible]~~ इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य

Not Passed
2/7/18